<u>महत्वपूर्ण</u>

संख्या- 7/2018/157/38-10-2018-9(सेल)/18

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2018

विषय:- मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में सम्पादित कार्यों की गुणवत्ता की **जॉच /सत्यापन** के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या– 01/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 22 जनवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश दिये गये है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक **22 जनवरी, 2018 के प्रस्तर- 9(iv)** में जनपद स्तर पर अनुश्रवण हेतु गठित समिति द्वारा अनुश्रवण किये जाने के साथ-साथ प्रत्येक माह जनपद के चयनित राजस्व ग्रामों का **स्थलीय निरीक्षण** भी किये जाने की व्यवस्था की गई है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु तत्काल टीम गठित कर जॉच/सत्यापन किया जाए । योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में से 05 प्रतिशत का सत्यापन जिलाधिकारी स्वयं करेंगे । 15 प्रतिशत मुख्य विकास अधिकारी तथा शेष ग्रामों का सत्यापन विकास एवं राजस्व विभाग के श्रेणी-1 के जनपदस्तरीय अधिकारी द्वारा कराया जाए। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराया जाए ।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 07/2018/157(1)/38-10-18-9(सेल)/18 तददिनांकित ।

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, समाज कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन एवं वन्य जीव, दुग्ध विकास, खाद्य एवं रसद, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, कृषि व संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5- संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 हरिश्चन्द्र
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।